शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर

धरमपुरा–2, जगदलपुर, जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत पिनकोड 494001

Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar

Dharampura-2, Jagdalpur, Distt.-Bastar, Chhattisgarh, India, Pincode 494001

Telephone 07782-229037, Fax 07782-229037 Website: www.bvvjdp.ac.in

कार्यपरिषद

कीं 37वीं बैठक दिनांक 29.03.2022

समय – दोपहर 12:00 बजे से

- **कार्यवाही विवरण**
- **विषय सूची**
- **विषय से संबंधित समस्त दस्तावेज सहित**

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर

धरमपुरा–2, जगदलपुर, जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत पिनकोड 494001

Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar

Dharampura-2, Jagdalpur, Distt.-Bastar, Chhattisgarh, India, Pincode 494001

TelePhone 07782-229037, Fax 07782-229037, Website: www.bvvjdp.ac.in

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरान निबोधत

क्रमांक / 244 /अका./कार्यपरिषद/2022 जगदलपुर, दिनांक 29/03/2022

29 MAR 2022

//कार्यपरिषद बैठक का कार्यवाही विवरण//

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर के कार्यपरिषद की 37वीं बैठक दिनांक 29.03.2022 को अपरान्ह 12.00 बजे विश्वविद्यालय के सभाकक्ष में आहूत की गई। कोविड–19 के नियंत्रण हेतु शासन/प्रशासन द्वारा जारी सभी प्रोटोकाल एवं निर्देशों का पालन करते हुए बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए तथा शेष निम्नलिखित सदस्य विडियो कॉन्फ्रेसिंग (Google Meet App) के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए :–

बैठक में उपस्थित सदस्य

1. प्रोफेसर (डॉ.) शैलेन्द्र कुमार सिंह, कुलपति, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर — पदेन अध्यक्ष
2. श्री रेखचंद जैन, माननीय विधायक, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 86 – जगदलपुर — सदस्य
3. श्री चंदन कश्यप, माननीय विधायक, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 84–नारायणपुर — सदस्य
4. श्री अरविंद नेताम, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार, कुम्हार पारा, जगदलपुर जिला बस्तर — सदस्य
5. डॉ. सरला आत्राम, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, सरोना। — सदस्य
6. डॉ. चेतन राम पटेल, प्राचार्य, शासकीय गुण्डाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोण्डागॉव।
7. डॉ. टी.आर. रात्रे, प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय, तोकापाल। — सदस्य
8. डॉ. आर.के. हिरकने, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबंध सूचना प्रौद्योगिकी संकाय, प्राध्यापक (वाणिज्य), शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा — संकाय सदस्य
9. श्री धीरज नशीने, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन बस्तर जगदलपुर — सदस्य
10. श्री ईश्वर प्रसाद तिवारी, संकायाध्यक्ष, शिक्षा एवं विधि संकाय, प्राचार्य, श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर बस्तर — सदस्य
11. डॉ. व्ही.के. पाठक, कुलसचिव, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर — पदेन सचिव

गूगल मीट के माध्यम से सम्मिलित सदस्य

12. डॉ. (श्रीमती) एस.एम. तिमोथी, प्राचार्य, शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नारायणपुर। — सदस्य
13. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग — सदस्य
14. पद्मश्री अनूप रंजन पाण्डेय, एच–15, सेलटैक्स कालोनी, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) — सदस्य
15. श्री कमलाकर सिंह, पूर्व कुलपति, भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल, निवासी–ई–3/22, नुपुर कुंज, अरेरा कालोनी, भोपाल — सदस्य
16. डॉ. ए.के.दीक्षित, प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) एवं संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवं कला संकाय, शासकीय इन्द्रावती महाविद्यालय, भोपालपट्नम, बीजापुर — सदस्य
17. डॉ. के. इंदिरा, प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) एवं संकायाध्यक्ष, विज्ञान एवं जीव विज्ञान संकाय, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर — सदस्य

29 MAR 2022

विषय क्रमांक – 1 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के 36वीं बैठक दिनांक 20.01.2022 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय :–

सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांक – 2 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के 36वीं बैठक दिनांक 20.01.2022 के कार्यवृत्त का पालन प्रतिवेदन को कार्यपरिषद के पटल पर रॅंखना।

निर्णय :–

पालन प्रतिवेदन का सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांक – 3 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

दिनांक 25.03.2022 को आयोजित विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक में विचार हेतु रखे गये प्रस्ताव एवं विषयों पर लिए गये निर्णयों का अनुमोदन।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक – 4 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13(2) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर, जगदलपुर में नये कुलपति की नियुक्ति हेतु कुलाधिपति द्वारा समिति गठन के लिए कार्यपरिषद द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति का नाम नामित किये जाने के संबंध मे।

विभागीय टीप :–

राज्यपाल के उपसचिव, राजभवन, रायपुर के संलग्न पत्र क्रमांक एफ 1–1/2022/रास/यू.–8 रायपुर, दिनांक 15.02.2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13(2) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर, जगदलपुर में नये कुलपति की नियुक्ति हेतु माननीय कुलाधिपति, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर द्वारा समिति का गठन किया जाना है।

उक्त समिति गठन हेतु छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा (2) (एक) में निहित प्रावधान–"कार्यपरिषद द्वारा निर्वाचित किया गया एक व्यक्ति" अनुसार कार्यपरिषद द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति का नाम एवं उनसे संबंधित जानकारी बायोडाटा सहित छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर को शीघ्र प्रेषित करने का निर्देश दिया गया है।

प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :–

उक्त प्रस्ताव के निर्णय हेतु पृथक से कार्यपरिषद की बैठक आयोजित किया जावे।

विषय क्रमांक – 5 (विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग का प्रस्ताव)

सत्र 2021–22 की सेमेस्टर परीक्षा, दिसम्बर 2021 की एम.ए./एम.एस.सी. मानवविज्ञान एवं जनजातीय अध्ययन के तृतीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र लीक होने पश्चात् गठित जॉच समिति द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन खोले जाने के संबंध में।

2 9 MAR 2022

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के सेमेस्टर परीक्षा दिसम्बर 2021 अंतर्गत दिनांक 03 फरवरी, 2022 को आयोजित होने वाले एम.ए./एम.एस.सी. मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययन के तृतीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र कोड–MJ-312 के दैनिक समाचार पत्र ''पत्रिका'' के जगदलपुर संस्करण में दिनांक 03 फरवरी, 2022 को प्रकाशित होने उपरांत पत्र क्रमांक 105/परीक्षा/गोपनीय/श.म.क.वि.वि.ब./2022/जगदलपुर, दिनांक 03.02.2022 द्वारा परीक्षा स्थगित कर दी गई थी।

इसके पश्चात विश्वविद्यालय में विभिन्न छात्र संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदन में की गई मांग अनुसार माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 107/परीक्षा/गोपनीय/श.म.क.वि.वि.ब./2022/जगदलपुर, दिनांक 03.02.2022 द्वारा करते हुए जांच समिति की बैठक दिनांक 07.02.2022 को कुलसचिव कक्ष में आयोजित की गई। जांच समिति के अध्यक्ष एवं दो सदस्य उपस्थित हुए तथा डॉ. स्वपन कुमार कोले, प्राध्यापक, मानवविज्ञान एवं जनजातीय अध्ययन, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर तथा श्री देवचरण गावड़े, सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) को जांच समिति के सदस्य सचिव द्वारा पत्र प्रेषित कर जांच समिति के समक्ष में उपस्थित होकर जवाब देने के लिये बुलाया गया था।

जांच समिति द्वारा जांच प्रतिवेदन सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया गया है। सीलबंद लिफाफा खोले जाने एवं कार्यपरिषद के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने के संबंध में निर्णय हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :–

विश्वविद्यालय अध्यादेश–5 के कंडिका 10 (5) (vii) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार उक्त प्रश्न पत्र के रचयिता डॉ. स्वपन कुमार कोले, प्राध्यापक, मानवविज्ञान एवं जनजातीय अध्ययनशाला, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर को विश्वविद्यालय के समस्त परीक्षा एवं गोपनीय कार्य से विश्वविद्यालय में उनके सेवा अवधि तक के लिए प्रतिबंधित किया जाये तथां विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों के अनुसार गठित यथा परीक्षा समिति, अध्ययन मंडल, विद्यापरिषद, परीक्षा परिणाम समिति आदि की अध्यक्षता/सदस्यता से विश्वविद्यालय में उनके सेवा अवधि तक के लिए समाप्त किया जाये।

विषय क्रमांक – 6 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर, जगदलपुर में शासन द्वारा स्वीकृत प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी (छ.ग. राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम, 1983 अन्तर्गत पदों एवं प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित पदों को छोड़कर) स्तर के पदों पर भर्ती हेतु विनियम तैयार करने के संबंध मे।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर, जगदलपुर (पूर्व नाम बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर) की वर्ष 2008 में स्थापना पश्चात समय–समय पर छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत गैरशैक्षणिक प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी (छ.ग. राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम, 1983 अन्तर्गत पदों एवं प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित पदों को छोड़कर) स्तर के पदों पर भर्ती हेतु छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना/आदेशों एवं निर्देशों के अनुसार विनियम का प्रारूप तैयार किया गया है। विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर अद्यतन भर्ती नियम की प्रति उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

2 9 MAR 2022

चूंकि विश्वविद्यालय की स्थापना पश्चात् से स्वीकृत गैरशैक्षणिक द्वितीय श्रेणी स्तर के पदों पर भर्ती हेतु विश्वविद्यालय विनियम–38 है। परन्तु विनियम में उल्लेखित प्रावधान एवं प्रक्रिया वर्तमान परिदृश्य में छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना/आदेशों एवं निर्देशों के अनुसार नहीं है। अतः विश्वविद्यालय परिनियम–20 (यथा संशोधित), छ.ग. राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम, 1983 यथा संशोधित तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता/मापदण्ड, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना/आदेशों एवं निर्देशों के अनुसार प्रावधान करते हुए विनियम–38 को प्रतिस्थापित करते हुए नवीन विनियम–38 का प्रारूप विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुमोदन से गठित समिति द्वारा दिनांक 14.03.2021 को आयोजित बैठक में की गई चर्चा अनुसार तैयार किया गया है। समिति द्वारा अनुशंसित नवीन विनियम–38 का प्रारूप हेतु अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :–

कार्यपरिषद की आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जावे।

विषय क्रमांक–7 (विश्वविद्यालय के स्थापना विभाग का प्रस्ताव)

राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मंडल/आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत–प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण के अंतर्गत बकाया वेतन का भुगतान बाबत्।

विभागीय टीप –

उपरोक्त विषयान्तर्गत विश्वविद्यालय के आवक क्रमांक 4579 दिनांक 21.12.2021 के द्वारा प्राप्त छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) के वित्त निर्देश 33/2021, आदेश क्रमांक 1365/F-1002199/एल–11–2/ ब–4/चार, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 17.12.2021 के कंडिका क्रमांक 3 अनुसार राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मंडल/आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत–प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण के अंतर्गत बकाया वेतन की चतुर्थ किशत के रूप में माह अप्रैल, 2017 से माह अगस्त, 2017 तक कुल 05 माह का एरियर्स भुगतान किये जाने के निर्देश प्राप्त हुआ था। उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को अवधि दिनांक 01.04.2017 से 31.08.2017 तक कुल 5 माह का एरियर्स भुगतान किया गया है।

उक्त प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक–8 (विश्वविद्यालय के स्थापना विभाग का प्रस्ताव)

राज्य शासन के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 अनुसार दिनांक 01.07.2021 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दर के संबंध में।

विभागीय टीप –

उपरोक्त विषयान्तर्गत छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) के वित्त निर्देश 24/2021, आदेश क्रमांक/583/एफ 2013.04.00416/वि/नि/चार, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 17.09.2021 के कंडिका क्रमांक 2 अनुसार राज्य शासन के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत का वृद्धि करते हुये दिनांक 01.07.2021 से 17 प्रतिशत किया गया था।

2 9 MAR 2022

उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2021 से 17 प्रतिशत के दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है।

उक्त प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक–9 (विश्वविद्यालय के स्थापना विभाग का प्रस्ताव)

वित्तीय वर्ष 2022–23 से विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन कार्य कराये जाने पर प्रदाय किये जाने वाले मानदेय में वृद्धि करने के संबंध में।

विभागीय टीप –

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 1218/144/आउशि/राज.स्था./2022 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03.03.2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) के आदेश क्रमांक एफ 3–32/2020/38–1 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर, दिनांक 14.02.2022 के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययपन कार्य हेतु नियुक्त अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय में निम्नानुसार वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है:–

क्र.	विवरण	पूर्व का मानदेय	स्वीकृत मानदेय
1	2	3	4
1	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	200/–	300/–
2	4 कालखण्डों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	800/–	1200/–
3	उपर्युक्त बिन्दु 1 एवं 2 के अनुसार प्रतिमाह अधिकतम मानदेय	20800/–	31200/–

वर्तमान में विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 14.07.2018 में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय में 1 घन्टे के व्याख्यान के लिये प्रति कालखण्ड राशि रूपये 300/– मानदेय निर्धारित करते हुये अधिकतम सीमा राशि रूपये 20800/– किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) के आदेश क्रमांक एफ 3–32/2020/38–1 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर, दिनांक 14.02.2022 के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शासकीय महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु नियुक्त अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय में वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय में प्रति कालखण्ड राशि रूपये 300/– मानदेय निर्धारित करते हुये अधिकतम सीमा राशि रूपये 31200/– वित्तीय वर्ष 2022–23 से निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 से भुगतान (Salary of the Month March Paid in April) प्रारंभ किया जावे।

विषय क्रमांक–10 (विश्वविद्यालय के स्थापना विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के समस्त अध्ययनशालाओं में शैक्षणिक सत्र 2022–23 के लिए संविदा सहायक प्राध्यापकों/संविदा व्याख्याताओं एवं अंशकालिक अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति किये जाने के संबंध में।

2 9 MAR 2022

विभागीय टीप –

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के विभिन्न अध्ययनशालाओं में स्वीकृत शैक्षणिक रिक्त पदों के विरूद्ध अंशकालिक अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति एक अकादमिक सत्र 2021–22 के लिये किया गया है। कार्यरत अंशकालिक अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएँ दिनांक 30 जून, 2022 को समाप्त हो रही है।

अवगत हो कि छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं में स्वीकृत शैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्ति की प्रकिया प्रारंभ करने हेतु छ. ग. शासन, वित्त विभाग से वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये शासकीय व्यय में मितव्ययता एवं वित्तीय अनुशासन संबंधी वित्त निर्देश 14/2021 दिनांक 26/04/2021 के अनुसार पुनः वित्तीय अनुमति के लिये छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है, जिसका जवाब एवं वित्तीय अनुमति तथा रिक्त शैक्षणिक पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने की अनुमति प्रशासकीय विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है। अतः आगामी शैक्षणिक सत्र 2022–23 में सत्र आरंभ से अध्ययन–अध्यापन कार्य तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ संपादित करने हेतु संविदा सहायक प्राध्यापकों/संविदा व्याख्याताओं एवं अंशकालिक अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति पुनः आगामी शैक्षणिक सत्र 2022–23 के लिए किया जाना अतिआवश्यक है।

उक्त प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

आगामी शैक्षणिक सत्र 2022–23 के लिए संविदा सहायक प्राध्यापकों/संविदा व्याख्याताओं एवं अंशकालिक अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति हेतु पुनः विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया सत्र आरंभ के पूर्व किया जावे।

विषय क्रमांक–11 (विश्वविद्यालय के विकास विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के कैंपस में नवनिर्मित ट्रांजिट हॉस्टल के प्रबंधन हेतु नियमावली तैयार करने के संबंध में।

विभागीय टीप –

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के धरमपुरा परिसर में जिला प्रशासन, बस्तर जगदलपुर द्वारा निर्माण एजेन्सी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, जगदलपुर के माध्यम से ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण कार्य पूर्ण कर विश्वविद्यालय को हस्तातंरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त ट्रांजिट हॉस्टल में 20 नग 1 बी.एच.के. कमरे हैं। हस्तातंरण की कार्यवाही के पूर्व नवनिर्मित ट्रांजिट हॉस्टल निरीक्षण समिति का गठन किया गया है। ट्रांजिट हॉस्टल के संचालन हेतु विनियम (नियमावली) तैयार किया गया है। ट्रांजिट हॉस्टल में कॉफी हाउस, बैंक के लिये निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अधिकतम 08 बी.एच.के. कमरे गेस्ट रूम जैसे व्ही.व्ही.आई.पी. सुईट, व्ही.आई.पी. विश्राम कक्ष, अतिथि विश्राम कक्ष एवं अधिकतम 12 बी.एच.के. कमरे विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों, संविदा अधिकारियों/शिक्षकों/कर्मचारियों के अस्थायी निवास/ठहरने के लिये सशुल्क आबंटित किया जावेगा।

उक्त प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

29 MAR 2022

विषय क्रमांक–12 (विश्वविद्यालय के स्थापना विभाग का प्रस्ताव)

नवीन अंशदायी पेंशन योजना में राज्य शासन का अंशदान 14 प्रतिशत किये जाने अनुसार विश्वविद्यालय में नवीन अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत आने वाले कार्यरत अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए नियोक्ता अंशदान की राशि 14 प्रतिशत किये जाने के संबंध में।

विभागीय टीप –

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक 94/एफ 2019–04–04884/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 03.02.2022 (वित्त निर्देश 1/2022) के अनुसार राज्य शासन के अधिसूचना क्रमांक 977/सी–761/वि/नि/चार/ 04, दिनांक 27.10.2004 द्वारा दिनांक 01.11.2004 के बिंदु क्रमांक–02 में राज्य शासन द्वारा किये गये संशोधन अनुसार प्रत्येक कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना में अपने मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समान मासिक अंशदान करेगा तथा राज्य शासन का मासिक अंशदान कर्मचारी के वेतन और महंगाई भत्ता का 14 प्रतिशत होगा। आदेशानुसार यह संशोधन दिनांक 01.04.2022 से प्रभावशील होगा।

अतः विश्वविद्यालय में नवीन अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत आने वाले कार्यरत अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए कर्मचारी के अंशदायी पेंशन योजना में अपने मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समान मासिक अंशदान कटौती किये जाने तथा नियोक्ता अंशदान कर्मचारी के वेतन और महंगाई भत्ता का 14 प्रतिशत कटौती किये जाने के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से यथाप्रस्तावित अनुमोदन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री, छ.ग.शासन द्वारा दिनांक 09.03.2022 को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल किये जाने के संबंध में की गई घोषणा के अनुसार शासन द्वारा अधिसूचना/आदेश/निर्देश जारी किये जाने पर तदानुसार कार्यवाही किया जावे।

विषय क्रमांक–13 (विश्वविद्यालय के ग्रंथालय का प्रस्ताव)

पुस्तकें क्रय उपरांत प्राप्त देयक राशि रूपये 4,43,854/– का भुगतान करने की स्वीकृति के संबंध में।

विभागीय टीप :–

विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक/2396/स्टोर/ब.वि.वि./दिनांक 15.03.2021 के द्वारा पुस्तक क्रय हेतु टेक्नीज बुक इंटरनेशनल, न्यू दिल्ली को जारी किया गया था। उक्त क्रयादेश के अनुसार पुस्तकें प्रदाय करते हुए राशि रू. 4,43,854/– (Bill No. INT/212210326- Rs. 138224.00, INT/212210342- Rs. 56490.00 Bill No. INT/212210492- Rs. 249140.00) का देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त देयक अनुसार राशि भुगतान किये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

वित्तीय परीक्षणोपरांत भुगतान करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–14 (विश्वविद्यालय के ग्रंथालय का प्रस्ताव)

दिनांक 13.01.2022 को आयोजित विश्वविद्यालय ग्रंथालय समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन के संबंध में।

विभागीय टीप :–

विश्वविद्यालय ग्रंथालय समिति का गठन विश्वविद्यालय विनियन क्रमांक 29 के अनुसार किया गया है जिसकी बैठक दिनांक 13–1–22 को विश्वविद्यालय प्रसासनिक भवन के सभागार में आयोजित की गई थी. जिसका कार्यवाही विवरण मान. कार्यपरिषद के सदस्यों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

2 9 MAR 2022

विषय क्रमांक–15 (विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय का प्रस्ताव)

सेमेस्टर परीक्षा जुलाई–दिसम्बर 2021 के प्रश्प पत्र प्रिंटिग (सेट 154) के कुल देयक राशि 10,76,549.00 (दस लाख छिहत्तर हजार पॉच सौ उन्चास) भुगतान करने की स्वीकृति के संबंध में।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर का सेमेस्टर परीक्षा जुलाई–दिसम्बर 2021 के प्रश्न पत्र प्रिंटिग (सेट 154) देयक बिल नं. GP/20A/21-22, दिनांक 29.01.2022, के गोपनीय सामग्री प्रिंटिग, पेकिंग/विसिट/डिलीवरी/गोपनीय एवं सेक्यूरिटी देयक राशि रू. 9,61,204.32/–, IGST @ 12% - 1,15,344.52, कुल राशि रू. 10,76,548.84 (round off- .16) कुल देयक राशि रू. 10,76,549.00 के भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :–

वित्तीय परीक्षणोपरांत भुगतान करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–16 (विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय का प्रस्ताव)

सेमेस्टर परीक्षा जुलाई–दिसम्बर 2021 के प्रश्न पत्र प्रिंटिग (सेट 128) के कुल देयक राशि रू. 8,95,081.00 (आठ लाख पन्चानबे हजार एक्यासी) भुगतान करने की स्वीकृति के संबंध में।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर का सेमेस्टर परीक्षा जुलाई–दिसम्बर 2021 के प्रश्न पत्र प्रिंटिग (सेट 128) देयक बिल नं. GP/19/21-22, दिनांक 24.01.2022, के गोपनीय सामग्री प्रिंटिग, पेकिंग/विसिट/डिलीवरी/गोपनीय एवं सेक्यूरिटी देयक राशि रू. 9,61,204.32/–, IGST @ 12% - 95,901.58, कुल राशि रू. 8,95,081.42 (round off- .42) कुल देयक राशि रू. 8,95,081.00 के भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :–

वित्तीय परीक्षणोपरांत भुगतान करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–17 (विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय का प्रस्ताव)

सेमेस्टर परीक्षा जुलाई–दिसम्बर 2021 के प्रश्न पत्र रिप्रिंट (सेट 11) के कुल देयक राशि रू. 1,67,726.00 (एक लाख सड़सठ हजार सात सौ छब्बीस) भुगतान करने की स्वीकृति के संबंध में।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर का सेमेस्टर परीक्षा जुलाई–दिसम्बर 2021 के प्रश्न पत्र रिप्रिंट (सेट 11) देयक बिल नं. GP/22/21-22, दिनांक 15.02.2022, के गोपनीय सामग्री प्रिंटिग, पेकिंग /विसिट/डिलीवरी/गोपनीय एवं सेक्यूरिटी देयक राशि रू. 1,49,755.20/–, IGST @ 12% - 17,970.62, कुल राशि रू. 1,67,725.82 (round off- .18) कुल देयक राशि रू. 1,67,726.00 के भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :–

वित्तीय परीक्षणोपरांत भुगतान करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक –18 (विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग का प्रस्ताव)

MICS भोपाल के देयक क्र. 410, 411, 412, एवं 413 दिनांक 10.03.2021 देयक राशि रू. **44,59,515.00** (चवालिस लाख उनसठ हजार पॉच सौ पन्द्रह रू.) के भुगतान हेतु कार्यपरिषद की स्वीकृति के संबंध में।

विभागीय टीपः–

विश्वविद्यालय का कार्यादेश क्रमांक 8093/ भंडार/श.म.क.वि.वि./2021–22 जगदलपुर दिनांक 31.07.2021 एवं कुलसचिव, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय,बस्तर, जगदलपुर एवं MICS भोपाल के मध्य दिनांक 13.08.2021 के अनुबंधित शर्तो एवं स्वीकृत दर के अनुसार सत्र 2021–22 के परीक्षा/गोपनीय कार्यो को सफलता पूर्वक संपादित करने हेतु MICS भोपाल को कार्यादेश जारी किया गया था। MICS भोपाल के द्वारा सत्र 2021–22 के निम्नलिखित कार्यो का सफलता पूर्वक समाप्ति पश्चात देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है :–

2 9 MAR 2022

देयक क्रमांक–410 सेमेस्टर परीक्षा जनवरी–जून 2021

S.N.	Name of Works Details	Agreement	Rate	Qty.	Amount (Rs.)
1	Online Examination Application for Sem. Exam	ANNEXURE "B" S.N.-03	25	3760	**94000**
2	Compilation of data of enrollment & Examination form	ANNEXURE "B" S.N.-08	5	3760	**18800**
3	Online Displaying of Admit cards	ANNEXURE "B" S.N.-09	3	3760	**11280**
4	Processing of Result as per Marks Award Sheet	ANNEXURE "C" S.N.-02	30	3760	**112800**
5	Colour Marksheets	ANNEXURE "E" S.N.-07	32	3760	**120320**
6	Online Internal/ Practical Marks	ANNEXURE "C" S.N.-04	2	3760	**7520**
7	Three copies of Tabulation Register (Total Page 1213*3=3639)	ANNEXURE "C" S.N.-07	5	3639	**18195**
8	Online Result to be displayed of University Portal	ANNEXURE "C" S.N.-08	2	3760	**7520**
9	Marksheet Dispatched Register	ANNEXURE "C" S.N.-10	2	3760	**7520**
					397955
			ICGST@18%		**71631.9**
			Total (Rs.)		**469586.9**

देयक क्रमांक–411 **Online User Accessibility Work August 2021 to February 2022**

S.N.	Name of Works Details	Agreement	Rate	Qty.	Amount (Rs.)
1	Online User Accessibility System for College (Total Active College 55*1450=79750 Per Month)	ANNEXURE "G" S.N.-02	1450	55*7	**558250**
2	Online User Accessibility System for University (Total Active User 17*1450=24650 Per Month)	ANNEXURE "G" S.N.-02	1450	17*7	**172550**
3	Exclusive Toll Free Number With Minimum 5 lines (7800*5=39000 Per Month)	ANNEXURE "G" S.N.-03	7800	5*7	**273000**
4	SMS (05-10-2021 to 28-02-2022	ANNEXURE "F" S.N.-02	0.3	130000	**39000**
					1042800
			ICGST@18%		**187704**
			Total (Rs.)		**1230504**

देयक क्रमांक–412 सेमेस्टर परीक्षा जुलाई–दिसम्बर 2021 सत्र 2021–22

S.N.	Name of Works Details	Agreement	Rate	Qty.	Amount (Rs.)
1	Online Examination Application for Sem. Exam	ANNEXURE "B" S.N.-03	25	**4659**	**116475**
2	Compilation of data of enrollment & Examination form	ANNEXURE "B" S.N.-08	5	**4659**	**23295**
3	Online Displaying of Admit cards	ANNEXURE "B" S.N.-09	3	**4659**	**13977**
4	Online Internal/ Practical Marks	ANNEXURE "C" S.N.-04	2	**4659**	**9318**
					163065
			ICGST@18%		**29351.7**
			Total (Rs.)		**192416.7**

2 9 MAR 2022

देयक क्रमांक–413 वार्षिक परीक्षा अप्रैल–मई 2022 सत्र 2021–22

S.N.	Name of Works Details	Agreement	Rate	Qty.	Amount (Rs.)
1	Online Enrollment Application of Regular Students	ANNEXURE "B" S.N.-02	20	11114	**222280**
2	Online Examination Application for Annual Examination	ANNEXURE "B" S.N.-03	25	78126	**1953150**
					2175430
			ICGST@18%		**391577.4**
			Total (Rs.)		**2567007**

उपरोक्तानुसार देयक 410, 411, 412 एवं 413 का कुल योग निम्नानुसार है–

S.N.	Bill No.	Amount (Rs.)	ICGST@ 18%	Total Amount (Rs.)
1	Bill No. 410	397955	71631.9	469587
2	Bill No. 411	1042800	187704	1230504
3	Bill No. 412	163065	29351.7	192417
4	Bill No. 413	2175430	391577.4	2567007
	Total (Rs.)	**3779250**	**680265**	**4459515**

उपरोक्तानुसार भुगतान करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :–

वित्तीय परीक्षणोपरांत भुगतान करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक –19 विषय क्रमांक–17 (विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर का नैक प्रत्यायन कराये जाने से पूर्व Research for Resurgence Foundation, Nagpur से मॉक विजिट कराये जाने के संबंध में।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर का नैक प्रत्यायन कराये जाने की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा एस.एस.आर. जमा कर दिया गया है। आगामी माह में नैक पीयर टीम द्वारा विश्वविद्यालय के विजिट के लिए तिथि एवं समय निर्धारित किये जाने उपरांत नैक प्रत्यायन किया जाना प्रस्तावित है।

माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार नैक प्रत्यायन कराये जाने से पूर्व Secretry, Research for Resurgence Foundation, Nagpur और कुलसचिव, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के मध्य हुए अनुबंध दिनांक 18.09.2021 की शर्तों के अनुसार तथा Secretry, Research for Resurgence Foundation, Nagpur द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 28.02.2022 अनुसार विश्वविद्यालय के नैक प्रत्यायन कराये जाने से पूर्व Research for Resurgence Foundation, Nagpur के विशेषज्ञों से मॉक विजिट कराये जाने के लिए राशि रू. 3.54 लाख (जी.एस.टी. सहित) का अग्रिम भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही विशेषज्ञों की आने एवं जाने के लिए टी.ए., स्थानीय यात्रा भत्ता एवं निवास सहित अन्य सुविधा में होने वाले व्यय का वहन शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर द्वारा किया जायेगा।

प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। नियमानुसार अग्रिम भुगतान करने तथा देयक प्राप्त होने पर वित्तीय परीक्षणोपरांत भुगतान की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

2 9 MAR 2022

विषय क्रमांक –20 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के अकादमिक भवनों के हॉल का नामकरण किये जाने के संबंध में।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के धरमपुरा परिसर स्थित अकादमिक भवन के दो सेमीनार हॉल (भू–तल एवं प्रथम तल पर स्थित) तथा धरमपुरा स्थित नवीन परिसर में रूसा अनुदान के तहत निर्मित बी.एड. अध्ययनशाला भवन एवं एम.बी.ए. अध्ययनशाला भवन के क्रमशः एक–एक बहुउद्देशीय सेमीनार हॉल (भू–तल पर स्थित) के हॉल का निम्नानुसार नामकरण किया जाना प्रस्तावित है :–

धरमपुरा परिसर स्थित अकादमिक भवन के दो सेमीनार हॉल (भू–तल एवं प्रथम तल पर स्थित)

1. धरमपुरा परिसर स्थित अकादमिक भवन के भू–तल स्थित सेमीनार हॉल – शहीद गुण्डाधूर सेमीनार हॉल
2. धरमपुरा परिसर स्थित अकादमिक भवन के प्रथम तल स्थित सेमीनार हॉल – स्वामी सत्यरूपानंद सेमीनार हॉल
3. धरमपुरा स्थित नवीन परिसर के बी.एड. अध्ययनशाला भवन के भू–तल स्थित सेमीनार हॉल – स्वामी विवेकानंद सेमीनार हॉल
4. धरमपुरा स्थित नवीन परिसर के एम.बी.ए. अध्ययनशाला भवन के भू–तल स्थित सेमीनार हॉल – स्वामी आत्मानंद सेमीनार हॉल

निर्णय :–

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक –21 (विश्वविद्यालय के प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा गॉर्ड तैनाती के देयक का भुगतान के संबंध में।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में सुरक्षा व्यवस्था हेतु कार्यादेश कमांक/2189/भण्डार/श.म.क.वि.वि./2021–22 जगदलपुर, दिनांक 29/10/2021 के अनुसार संचालक, बस्तर सिक्यूरिटी गॉर्ड इंटेलिजेंट सर्विस, महारानी अस्पताल रोड़, जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.) द्वारा प्राप्त देयक कमांक BIG-SS/JDP/02/ एवं BIG-SS/JDP/03 के अनुसार माह दिसम्बर 2021 एवं जनवरी, 2022 में विश्वविद्यालय में सुरक्षा गार्ड की पदस्थपना है :–

S.No.	Particulars	No. of Security Guard	No. of Duties	Rate Per Month Per Person	Amount in INR
1	**Security Guard Duty for the month of December 2021 (Period from 01/12/2021 to 31/12/2021)**	17	356	**9460**	**75680**
2	E.P.F. @13%	17	356	**1229.8**	**9838.4**
3	ESI @ 3.25%	17	356	**307.45**	**2459.6**
	Total	**17**	**356**	**110997**	**130501**
	Agency Charge	-	-	-	-
	SGST	9%	Monthly	**989.73**	**11745**
	CGST	9%	Monthly	**989.73**	**11745**
	Grand Total	**17**	**Monthly**	**12976**	**153991**

2 9 MAR 2022

S.No.	Particulars	No. of Security Guard	No. of Duties	Rate Per Month Per Person	Amount in INR
1	**Security Guard Duty for the month of January 2022 (Period from 01/01/2022 to 31/01/2022)**	17	527	**9460**	**160120**
2	E.P.F. @13%	17	527	**1229.8**	**20906.6**
3	ESI @ 3.25%	17	527	**307.45**	**5226.26**
	Total	**17**	**527**	**10997**	**186953**
	Agency Charge	-	-	-	-
	SGST	9%	Monthly	**989.73**	**16826**
	CGST	9%	Monthly	**989.73**	**16826**
	Grand Total	**17**	**Monthly**	**12976**	**220605**

अतः विश्वविद्यालय परिसर में दिनांक 01.12.2021 से 31.12.2021 तक 17 सुरक्षा गॉर्ड की तैनाती में भुगतान हेतु राशि रूपये 153991.00 एवं दिनांक 01.01.2022 से 31.02.2022 तक तक 17 सुरक्षा गॉर्ड की तैनाती में भुगतान हेतु राशि रूपये 220605.00 कुल राशि 374596.00 रूपये (तीन लाख चौहत्तर पांच सौ छियान्बे रूपये मात्र) के देयक का भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

वित्तीय परीक्षणोपरांत भुगतान करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक –22 (विश्वविद्यालय के प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के ई.पी.एफ./ई.एस.आई.सी. कटौती किये जाने एवं विश्वविद्यालय में नियुक्ति तिथि से कर्मचारी अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान की राशि जमा किये जाने के संबंध में।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों द्वारा विश्वविद्यालय में प्रस्तुत संयुक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन दिनांक 22/03/2022 द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 एवं छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के वित्त निर्देश 52/2017 में दिये गये निर्देशानुसार तथा कार्यपरिषद की 30वीं बैठक दिनांक 29.01.2021 के कार्यवाही विवरण अनुसार विषय क्रमांक–8 में लिए गए निर्णय के अनुसार कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के ई.पी.एफ./ई.एस.आई.सी. कटौती किये जाने एवं विश्वविद्यालय में नियुक्ति तिथि से कर्मचारी अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान की राशि उनके यू.ए.एन. खाता प्रारंभ कर जमा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

विश्वविद्यालय के स्थापना तिथि दिनांक 02.09.2008 पश्चात विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के ई.पी.एफ./ई.एस.आई.सी. कटौती किये जाने एवं विश्वविद्यालय में नियुक्ति तिथि से कर्मचारी अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान की राशि का गणना पत्रक दिनांक 16.03.2022 को वित्त अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है।

ज्ञापन में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारी अंशदान स्थापना वर्ष से एक तरफ की राशि कर्मचारियों द्वारा दिया जाना संभव नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि का जो कर्मचारी अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान की राशि का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

2 9 MAR 2022

निर्णय :–

पूर्ण परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करने की स्वीकृति प्रदान की गई। विश्वविद्यालय के स्थापना पश्चात् विश्वविद्यालय में दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के विश्वविद्यालय में कार्य प्रारंभ करने की तिथि से श्रमिकों द्वारा कर्मचारी अंशदान की राशि विश्वविद्यालय में जमा करने पर नियोक्ता अंशदान की राशि का भुगतान नियमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा किया जावे। समस्त कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के ई.पी.एफ./ई.एस.आई.सी. राशि की कटौती कर (कर्मचारी अंशदान प्राप्त कर) एवं नियोक्ता अंशदान की राशि का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा नियमित रूप से किया जावे।

विषय क्रमांक –23 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

तृतीय दीक्षांत समारोह हेतु Om Sai Event Management, Jagdalpur के देयकों की राशि GST सहित रू. 38,69,843 =00 (अड़तीस लाख, उनहत्तर हजार, आठ सौ तिरालिस) का भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

विभागीय टीप :–

तृतीय दीक्षांत समारोह 5 मार्च 2022 को माननीया राज्यपाल महोदया सह कुलाधिपति जी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित की गई। उक्त कार्यक्रम में निविदा के स्वीकृत दर अनुसार Om Sai Event Management, Jagdalpur को अभ्यास दिवस 4 मार्च 2022 एवं समारोह दिवस 5 मार्च 2022 के व्यवस्था हेतु कार्यादश क्रमांक/2008/भण्डार– दीक्षांत 3/श.म.क.वि.वि. /2021–22, जगदलपुर, दिनांक 16/02/2022 जारी किया गया। उक्त फर्म ने कार्योपरांत देयक क्रमांक 035,036, 037,038, 039,040,041,042 दिनांक 11.03.2022 प्रस्तुत किया है। उक्त देयकों की राशि GST सहित रू. 38,69,843 =00 (अड़तीस लाख, उनहत्तर हजार, आठ सौ तिरालिस) नियमानुसार भुगतान करने विषय प्रस्तुत है। कार्यपरिषद की 35 वीं बैठक दिनांक 23.12.2021 के विषय क्रमांक 11 में तृतीय दीक्षांत समारोह हेतु अनुमोदित बजट राशि रू. 50.00 (पचास लाख) के अंतर्गत उक्त व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। संबंधित निविदा के स्वीकृत फर्म की अनुबंध अवधि 31 मार्च 2022 तक वृद्धि करने के संबंध में कार्यपरिषद की 36वीं बैठक दिनांक 20/01/2022 के पूरक विषय क्रमांक 02 में माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति दी गई है। अतः देयकों के भुगतान की अनुमति हेतु विषय प्रस्तुत है।

निर्णय :–

वित्तीय परीक्षणोपरांत भुगतान करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक –24 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

तृतीय दीक्षांत समारोह हेतु विभिन्न मुद्रण कार्य से संबंधित Smriti Galaxy India, Agrasen Chowk, Jagdalpur के वर्तमान में प्राप्त देयकों की राशि GST सहित रू. 6,34,825 =00 (छः लाख, चौंतीस हजार, आठ सौ पच्चीस) भुगतान के संबंध में।

विभागीय टीप :–

तृतीय दीक्षांत समारोह 5 मार्च 2022 के लिए विभिन्न दस्तावेजों, उद्‌बोधन बुक, बैनर इत्यादि मुद्रण करवाया गया है। उक्त सामग्रियों के मुद्रण हेतु निविदा में स्वीकृत फर्म Smriti Galaxy India, Agrasen Chowk, Jagdalpur को कार्यपरिषद की 35 वी बैठक दिनांक 23/12/2021 विषय क्रमांक 11 के अनुसार अनुबंध अवधि 31 मार्च 2022 तक वृद्धि किया गया। तृतीय दीक्षांत से संबंधित मुद्रण हेतु उक्त फर्म को कार्यादेश क्रमांक/210/भण्डार– दीक्षांत 3/श.म.क.वि.वि. /2021–22, जगदलपुर, दिनांक 16/02/2022 जारी किया गया। प्रिंटिंग प्रेस ने कार्योपरांत वर्तमान में देयक क्रमांक. 541, 544, 547,549,551, 554 प्रस्तुत किया है, जिसकी कुल लागत GST सहित रू. 6,34,825 =00 (छः लाख, चौंतीस हजार, आठ सौ पच्चीस) मात्र है। मुद्रण से संबंधित अन्य देयक प्राप्त किया जाना शेष है। प्राप्त देयकों का आवश्यक परीक्षण कर भुगतान योग्य देयकों का भुगतान किया जा सकता है। अनुमोदन की प्रत्याशा में विंषय प्रस्तुत है।

निर्णय :–

वित्तीय परीक्षणोपरांत भुगतान करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

2 9 MAR 2022

विषय क्रमांक –25 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

CSIDC के माध्यम से क्रयित UPS के देयकों की राशि GST, Inspection Charge सहित रू. 1,27,611 =00 (एक लाख, सत्ताईस हजार, छः सौ ग्यारह) भुगतान करने के संबंध में।

विभागीय टीप :–

विश्वविद्यालय के उपयोग हेतु 50 नग UPS क्रय करने के लिए कार्यपरिषद की 34वीं बैठक दिनांक 12/11/2021 में माननीय कार्यपरिषद की अनुमति के पश्चात प्रशासकीय आदेश क्रमांक/2276/भण्डार/श.म.क.वि.वि./2021–22 जगदलपुर, दिनांक 22/11/2021 के तारतम्य में CSIDC/E-Manak से Supply order No. 322012500051 द्वारा क्रयादेश जारी किया गया था। उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रदायकर्ता फर्म M/s. Sai Info Services, Raipur ने सामग्रियों के साथ देयक क्रमांक 921, GST, Inspection Charge सहित रू. 1,27,611 =00 (एक लाख, सत्ताईस हजार, छः सौ ग्यारह) मात्र प्रस्तुत किया है। जिसका नियमानुसार भुगतान की स्वीकृति हेतु विषय प्रस्तुत है।

निर्णय :–

वित्तीय परीक्षणोपरांत भुगतान करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक –26 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

नवनिर्मित अध्ययनशाला भवनों, छात्रावासों के लिए CSIDC से क्रय किये गए फर्नीचर्स का देयकों की राशि GST, Inspection Charge सहित रू. 42,54234 =00 (ब्यालिस लाख, चौवन हजार, दो सौ चौंतीस) का भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

विभागीय टीप :–

विश्वविद्यालय के नवनिर्मित अध्ययनशाला भवनों, छात्रावासों के लिए टेबल, कुर्सी, पलंग, तखत इत्यादि फर्नीचर्स को अधिकतम लागत रू. 50.00 (पचास लाख) के अंतर्गत क्रय करने की अनुमति माननीय कार्यपरिषद की 34वीं बैठक दिनांक 12/11/2021 को प्राप्त हुई थी। जिसके अनुसार CSIDC/E- Manak से Online Supply Order No. 322012400073 द्वारा फर्म Nova Industries, Raipur से विभिन्न फर्नीचर्स क्रय किये गये हैं। उक्त फर्म से प्राप्त देयक क्रमांक NI/21-22/Mar/37 e way Bill No 881214279578, 16 March, GST, Inspection Charge सहित रू. 42,54234 =00 (ब्यालिस लाख, चौवन हजार, दो सौ चौंतीस) का नियमानुसार तथा पूर्ण तथा संतोषजनक सामग्रियां प्राप्त होने के बाद भुगतान करने की अनुमति हेतु विषय प्रस्तुत है।

निर्णय :–

विश्वविद्यालय द्वारा समिति गठित कर निरीक्षण/परीक्षण किये जाने पश्चात् भुगतान की स्वीकृति प्रदान गई।

विषय क्रमांक –27 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय के ट्रांजिट हॉस्टल एवं अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए क्रयित फर्नीचर्स के देयकों की राशि GST, Inspection Charge सहित रू. 17,54,279 =00 (सत्रह लाख, चौवन हजार, दो सौ उन्यासी)भुगतान के संबंध में।

विभागीय टीप :–

कार्यपरिषद की 35वीं बैठक दिनांक 23/12/2021 के विषय क्रमांक 18 में नवनिर्मित ट्रांजिट हॉस्टल, के लिए विभिन्न फर्नीचर्स तथा विषय क्रमांक 20 में अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए फर्नीचर्स क्रय करने हेतु माननीय कार्यपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई थी। इस परिप्रेक्ष्य में CSIDC के माध्यम से Online Supply Order No. 322012500054 जारी करते हुये फर्म Nova Industries, Raipur से विभिन्न सामग्रियां क्रय किये गये हैं। फर्म से प्रेषित देयक क्रमांक NI/21-22/Mar/8 e way Bill No 891211485858, 3 March, GST, Inspection Charge सहित रू. 17,54,279 =00 (सत्रह लाख, चौवन हजार, दो सौ उन्यासी) का पूर्ण तथा संतोषजनक सामग्रियां प्राप्त होने के बाद नियमानुसार भुगतान करने की अनुमोदन बाबत् विषय प्रस्तुत है।

निर्णय :–

विश्वविद्यालय द्वारा समिति गठित कर निरीक्षण/परीक्षण किये जाने पश्चात् भुगतान की स्वीकृति प्रदान गई।

2 9 MAR 2022

विषय क्रमांक –28 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

तृतीय दीक्षांत समारोह के लिए निविदा में स्वीकृत फर्म Vitthaldas Singhal Saraf Reg., Gwalior (M.P.) का देयक की राशि रू. 1,45,800 =00 भुगतान करने के संबंध में।

विभागीय टीप :–

तृतीय दीक्षांत समारोह के स्वर्णपदक धारियों के लिए पदक निर्माण बाबत् नियमानुसार निविदा जारी किया गया था, जिसमें स्वीकृत फर्म Vitthaldas Singhal Saraf Reg., Sarafa Bazar, Gwalior (M.P.) को कार्यादेश क्रमांक 206/भण्डार/श.म.क.वि.वि./2021–22, जगदलपुर, दिनांक 16/02/2022 जारी किया गया। फर्म के द्वारा तृतीय दीक्षांत समारोह के लिए स्वर्णपदक प्रदाय किया गया है तथा देयक क्रमांक 026 दिनांक 27/02/2022 राशि रू. 1,45,800 =00 (एक लाख, पैंतालिस हजार, आठ सौ) मात्र भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त विषय पर कार्योत्तर स्वीकृति तथा भुगतान हेतु विषय प्रस्तुत है।

निर्णय :–

वित्तीय परीक्षणोपरांत भुगतान करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक –29 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

CSIDC के माध्यम से क्रयित फोटोकॉपीयर मशीनों के देयक की राशि रू. GST, Inspection Charge सहित रू. 9,61,050 =00 (नौ लाख, इकसठ हजार, पचास) भुगतान के संबंध में।

विभागीय टीप :–

कार्यपरिषद की 34वीं बैठक दिनांक 12/11/2021 के पूरक विषय 4 में रू. 10.00 (दस लाख) बजट के अंतर्गत चयनित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप कोनिका –मिनोल्टा ब्रांड के कुल 07 फोटोकॉपीयर क्रय की प्रशासकीय अनुमति प्राप्त हुई थी। जिसके अनुसार अनुसार CSIDC/E-Manak से Online Supply Order No. 322011200011 द्वारा फर्म Casyon Multi Electronics Private Ltd., Near Lodhipara Chowk, Jagdalpur से फोटोकॉपीयर मशीन क्रय किये गये हैं। उक्त फर्म से प्राप्त देयक क्रमांक 20212874, Date 17 Jan 2022,, GST, Inspection Charge सहित रू. 9,61,050 =00 (नौ लाख, इकसठ हजार, पचास) का नियमानुसार भुगतान करने की अनुमति हेतु विषय प्रस्तुत है।

निर्णय :–

वित्तीय परीक्षणोपरांत भुगतान करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक –30 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

फोटोकॉपीयर मशीनों के ट्रॉलियों के देयक की राशि GST सहित रू. 1,27,145 =00 (एक लाख, सत्ताईस हजार, एक सौ पैंतालिस) भुगतान करने के संबंध में।

विभागीय टीप :–

कार्यपरिषद की 35वीं बैठक दिनांक 23/12/2021 के विषय क्रमांक 17 में फोटोकॉपीयर मशीनों के लिए ट्रालियां क्रय करने हेतु प्रशासकीय अनुमति प्राप्त माननीय कार्यपरिषद से प्राप्त हुई थी। जिसके अनुसार अनुसार CSIDC/E- Manak ls Online Supply Order No. 322011300006 द्वारा फर्म M/s. Ras Telecom, M.M. Silver Plaza, Raipur से ट्रॉलियां क्रय किये गये हैं। उक्त फर्म से प्राप्त देयक क्रमांक RAS/2122/0924 Date - 09 Feb. 2022, GST सहित रू. 1,27,145 =00 (एक लाख, सत्ताईस हजार, एक सौ पैंतालिस) का नियमानुसार भुगतान करने की अनुमति हेतु विषय प्रस्तुत है।

निर्णय :–

वित्तीय परीक्षणोपरांत भुगतान करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

2 9 MAR 2022

विषय क्रमांक –31 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

केन्द्रीय विक्रय समिति में कार्यपरिषद द्वारा 01 सदस्य मनोनीत करने के संबंध में।

विभागीय टीप –

विश्वविद्यालय के अनुपयोगी/अपलेखित/आदेशित सामग्रियों को समय–समय में विक्रय किया जाता है। जिसके विक्रय हेतु विश्वविद्यालय विनियम 108 (विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 40 के अंतर्गत निर्मित) भाग 4 क्रय एवं विक्रय नियम के अंतर्गत विक्रय नियम के अनुसार, कार्यपरिषद के द्वारा 01 सदस्य मनोनित किया जावेगा, जो कि विश्वविद्यालय के अनुपयोगी विक्रय योग्य सामग्रियों की विक्रय समिति का सदस्य होगा। कृपया नामांकित कर अनुमोदन करना चाहें।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से कार्यपरिषद सदस्य, डॉ. टी.आर. रात्रे, प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय, तोकापाल को विश्वविद्यालय के केन्द्रीय विक्रय समिति का सदस्य मनोनीत किया गया।

विषय क्रमांक –32

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय।

विषय क्रमांक – 1 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

केन्द्रीय जेल जगदलपुर के मुख्य एवं पूरक उत्तर पुस्तिकाओं के देयकों के भुगतान की स्वीकृति बाबत्।

विभागिय टीप :–

कार्यपरिषद की 35 वीं बैठक दिनांक 23/12/2021 के विषय क्रमांक 15 में स्वीकृति मिलने के बाद केन्द्रीय जेल, जगदलपुर को विश्वविद्यालय द्वारा 8 लाख मुख्य उत्तर पुस्तिका एवं 4 लाख पूरक उत्तर पुस्तिका मुद्रण हेतु मुद्रणादेश क्रमांक/04/भण्डार/श.म.क.वि.वि./2021–22, जगदलपुर, दिनांक 01/01/2022 प्रेषित किया गया। दिनांक 25 मार्च 2022 तक उक्त संस्था के द्वारा 3.50 (तीन लाख, पचास हजार) मुख्य उत्तर पुस्तिका तथा 2.00 (दो लाख) पूरक उत्तर पुस्तिका प्रदाय कर दिया गया है। इस संबंध में कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, जगदलपुर जिला – बस्तर (छ.ग.) जिला –बस्तर का आवक पत्र क्रमांक 106/उद्योग/2022/जगदलपुर, दिनांक 25/03/2022 (आवक 2062, दिनांक 25/03/2022) प्राप्त हुआ है। जिसके साथ बिल नम्बर 41, बुक नम्बर 54, दिनांक 25/03/2022 संलग्न है। उक्त देयक अब तक भेजी गई उत्तर पुस्तिकाओं से संबंधित है। जिसकी राशि रू. 24,47500=00 (चौबीस लाख, सैंतालिस हजार, पांच सौ) मात्र है। अतः उक्त देयक का भुगतान की स्वीकृति अपेक्षित है। शेष उत्तर पुस्तिकाऐं प्राप्त होने के बाद शेष देयक की राशि रू. 3032500 त्र00 (तीस लाख, बत्तीस हजार, पांच सौ) मात्र का भुगतान भविष्य में समस्त उत्तर पुस्तिकाऐं प्राप्त होने के बाद किया जावेगा। उत्तर पुस्तिकाओं का परिवहन शुल्क प्रत्येक बार रू. 900=00 (नौ सौ) अतिरिक्त देय होगा। अतः माननीय कार्यपरिषद से स्वीकृति बाबत् विषय प्रस्तुत है।

निर्णय :–

वित्तीय परीक्षणोपरांत भुगतान करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

कुलपति
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.)

कुलसचिव
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.)

2 9 MAR 2022